

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर०ए०एस०)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 06/2018

उनवान प्रकरण

- 1-चिरौंजी | पुत्रगण चेता समस्त जाति कुशवाह
- 2-ल्हौरे | निवासीगण ग्राम अण्डौआ का पुरा तहसील सैपऊ
- 3-होरीलाल | जिला धौलपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2018  
मु०नं० 72/2018 सरकार बनाम चिरौंजी वगैरा  
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय  
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से  
रेस्पोडेण्ट की ओर से

:- श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट  
:- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 20.06.2018

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1822 रकवा 18 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर बॉके ग्राम चहलपुरा तहसील सैपऊ में से 06 विस्वा भूमि पर गेहूँ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य समाप्त करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है! अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की

(2)

न्यायाधीश जिला कलक्टर धौ0  
वमुक: चिरौजी वगैरा बनाम सरकार  
अपील संख्या 06/2018

जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थी निर्णय निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तस्फा आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा वर्तमान में अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्त के अभिभाषक ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्त चिरौंजी, ल्हौरे, होरीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोंडेंट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 1822 रकवा 18 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर बॉके ग्राम चहलपुरा तहसील सैपऊ में से 06 विस्वा भूमि पर गेहूँ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्तस ने इससे पूर्व भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलान्त ने बहस में यह कथन किया है कि उन्होंने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगें इस आशय का उन्होंने अपना अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्तस ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ मौका सत्यापन करने पर अपीलान्त द्वारा कब्जा छोडना पाते है, सम्बत 2075 में अपीलान्त का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो


(3)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०  
वमुक: चिरौजी वगैरा बनाम सरकार  
अपील संख्या 06/2018

तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 72/2018 उनवानी सरकार बनाम चिरौजी वगैरा मे पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्टा को दी गई एक माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्टस द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे, सम्बत 2075 में अपीलान्टा का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्टस के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( ह.प्र.कूल सिंह यादव )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौ (पुसपुराज०)